<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

21/07/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), शिलांग सब-ज़ोनल कार्यालय ने 03/07/2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत चंद्र मोहन झा, सीएमजे विश्वविद्यालय के चांसलर और उनके परिवार के सदस्यों की ₹20.28 करोड़ मूल्य की संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क करने का आदेश जारी किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में नई दिल्ली स्थित 4 अचल संपत्तियाँ, जिनकी कीमत ₹19.28 करोड़ है, तथा ₹1 करोड़ की चल संपत्ति बैंक बैलेंस के रूप में शामिल हैं। यह कार्रवाई ईडी द्वारा चंद्र मोहन झा द्वारा अर्जित अपराध से प्राप्त आय (पीओसी) का पता लगाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत की गई है। चंद्र मोहन झा ने अन्य व्यक्तियों के साथ मिलीभगत कर नकली डिग्रियाँ पैसे के बदले में जारी की थीं।

ईडी ने अपनी जांच सी आई डी थाना, ईस्ट खासी हिल्स, शिलांग में सीएमजे विश्वविद्यालय के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। यह शिकायत श्री एम. एस. राव, आईएएस द्वारा पूर्व मेघालय राज्यपाल, जो विश्वविद्यालय के विज़िटर भी थे, के निर्देश पर दर्ज कराई गई थी। मामले की सीआईडी द्वारा की गई जांच में विश्वविद्यालय संबंधी कई अनियमितताएँ, जिनमें डिग्री बेचना भी शामिल है, उजागर हुईं, जिससे विश्वविद्यालय से जुड़े हितधारकों ने अनुमानित ₹83 करोड़ की अपराध से प्राप्त आय (पीओसी) अर्जित की।

ईडी ने विश्वविद्यालय के प्रायोजकों द्वारा अर्जित अपराध से प्राप्त आय का पता लगाया और विभिन्न अवसरों पर इन्हें कुर्क किया। 31/03/2017, 30/11/2021 और 11/07/2024 को अनंतिम कुर्की आदेश जारी करके ईडी ने क्रमशः ₹27.66 करोड़, ₹13.54 करोड़ और ₹7.56 करोड़ की संपत्तियाँ चंद्र मोहन झा और उनके परिवारजनों के कब्ज़े से पहले ही कुर्क की हैं।

अपराध से प्राप्त आय का और पता लगाने के उद्देश्य से, ईडी ने 12/12/2024, 21/12/2024 और 23/12/2024 को विभिन्न परिसरों पर तलाशी ली, जिससे कुल ₹1.15 करोड़ के बैंक बैलेंस को फ्रीज किया गया। तलाशी के पूर्व और दौरान, चंद्र मोहन झा व उनके परिवार की कई ऐसी संपत्तियाँ प्रकाश में आईं, जिन्हें उन्होंने धोखाधड़ी कर अवैध रूप से अर्जित किया था। इनमें 2013 से 2022 के बीच खरीदी गईं 4 अचल संपत्तियाँ शामिल हैं। बैंक बैलेंस में ₹1 करोड़ की राशि, जिसे चंद्र मोहन झा ने 16/12/2024 को ईडी से छुपाने के उद्देश्य से अपने एक परिजन के नाम पर धोखे से स्थानांतरित कर दिया था, बाद में उजागर हुई। इन संपत्तियों, जिनका मूल्य ₹20.28 करोड़ है, को अब 03/07/2025 की अनंतिम कुर्की आदेश के तहत कुर्क किया गया है।

आगे की जांच प्रगति पर है।